## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL ARCHIVES OF INDIA JANPATH, NEW DELHI- 110 001



## SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF MANUSCRIPTS, RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY

### 2018-2019

Applications are invited for financial assistance from registered voluntary organisations, educational institutions including private colleges, private libraries and museums, universities including deemed universities and individuals for the following purposes;-

a. Scientific preservation/ conservation/ repair/ restoration, microfilming, listing, cataloguing, evaluation, translation, publication/ reprint of historical documents, record of history, charts, maps etc. in their custody as also for purchase of manuscripts/rare books.

b. Preservation and Conservation of archival photographs and prints (including

oleographs & lithographs).

c. Purchase of items required for preservation and conservation of manuscripts/rare books i.e. Air conditioners, vacuum cleaners, fumigation chambers and chemicals for treatment.

d. Digitization of manuscripts, rare books, old and rare documents, record of history, archival photographs & prints (including support for digitization job work as well as purchase of equipments viz. camera, scanner, computer, printer, copier).

The maximum limit of financial assistance under the Scheme is up to Rs.10 lakhs in the ratio of 75:25 of the total cost of the project per year (i.e. Central Government's Share 75% and Grantee's matching share 25%).

Application(s) duly recommended by the State Level Screening Committee (SLSC)/State Archives (for this please contact Director, concerned State Archives)/State Government in the prescribed proforma may be forwarded to Chairman, Grants Committee & Director General, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001 within 60 days of the publication of this advertisement.

Complete details of the financial assistance of the scheme, alongwith the prescribed proforma of the application can be down loaded from National Archives of India website www.nationalarchives.nic.in Sub-Head Grants-in-aid on home page or could also be obtained from the address given above, either by writing or in person.

#### SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE

#### FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF

#### MANUSCRIPTS, RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY

#### **APPLICATION FORM**

- Name and complete postal address of the Institution/Organisation/ Individual etc. Tel no., Fax No. E-mail ID and Unique ID no.
- Date of Establishment/registration as a Society or Trust under Indian Societies Registration Act, 1860. Details of Board of Management alongwith a copy of the registration certificate.
- 3. Darpan ID No.\* (For Non-Governmental Organisation)
- Nature and number of manuscripts/rare books, old and rare documents, record of history, holdings and their titles, authors, inclusive years/period, subject, languages to which they belong in the custody of the voluntary organisation/individual.
- Audit accounts for the last three years along with copies of balance sheet (last year) and latest copy of Annual Report.
- 6. A statement giving details of financial assistance received during the last five years from the Central / State Government of any other source. In case the applicant has previously received financial assistance under this scheme, copies of relevant utilization certificates may be enclosed.
- 7. Details of the Project for which assistance is sought alongwith details of experts to be engaged.
- Estimated cost of the Project with item-wise details of financial assistance sought.
- Source from where 25% cost of the Project would be met
- Financial assistance expected from any other source for the Project.
- 11. Concerned State Level Screening Committee Recommendation to be attached with the application.

Place:

Date:

Signature:

Name:

Designation:

Office Stamp:

\* NGOs should register themselves on <a href="https://ngodarpan.gov.in/">https://ngodarpan.gov.in/</a> and get the Darpan Id no.

N.B: Incomplete application or application received after the prescribed date will not be considered.

# भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार जनपथ, नई दिल्ली- 110 001 www.nationalarchives.nic.in

Email-archives@nic.in



### पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना 2018- 2019

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और व्यक्तियों से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

- क. उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टी व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/संरक्षण/मरम्मत/रेस्टोरेशन, माइक्रोफिल्मिंग, सूचीकरण, कैटेलॉगिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुदण तथा दुर्लभ पुस्तके खरीदने के लिए
- ख. अभिलेख छायाचित्रों तथा मुद्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एंव संरक्षण के लिए
- ग. पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण एवं सरंक्षण के लिए अपेक्षित मदों जैसे वातानुकूलन, वैक्यूम क्लीनर्स, फय्मीगेशन चैम्बर्स एवं उपचार हेत् रसायन खरीद के लिए
- घ. पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख का डिजीटाइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुद्रण (डिजीटाइजेशन जॉब वर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात कैमरा, स्कैनर, कंप्यूटर, प्रिंटर कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सिहत) इत्यादि।

योजना के अन्तर्गत वितीय सहायता की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए है जो प्रति वर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात केन्द्रीय सरकार का 75% शेयर और अनुदानग्राही की 25% मैंचिंग शेयर) निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय संवीक्षा स्क्रीनिंग समिति (सम्बंधित राज्य अभिलेखागार के निदेशक से इस विषय हेतु सम्पर्क करें)/ राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन को अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली- 110 001 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर अवश्य भेज दिये जाएं।

योजना की वित्तीय सहायता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in सब हैड Grants-in-aid on home page पर से डाउनलोड किया जा सकता है या उपर्युक्त पते पर लिखकर या स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वितीय सहायता हेतु आवेदन पत्र

- संस्थान/संगठन/व्यक्ति इत्यादि का नाम तथा पूरा पता दूरभाष/फैक्स सं., ईमेल आई डी. तथा विशिष्ट आई डी. सं.
- 2. इंडियन सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत सोसायटी : अथवा ट्रस्ट की स्थापना/ पंजीकरण की तिथि पंजीकरण प्रमाण-पत्र सिहत प्रंबधन बोर्ड का विवरण
- 3. दर्पण आई डी.संख्या (गैर सरकारी संगठनों के लिए)
- 4. स्वैच्छिक संगठनों, व्यक्तियों के पास उनकी अभिरक्षा में रखी पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख संपत्तियों की एवं प्रकृति संख्या, जिस पर विशेषरूप से वर्ष/अवधि, विषय भाषा सहित शीर्षक और लेखक का नाम
- 5. पिछले तीन वर्षों का प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण एवं पिछले साल की बैलेस शीट तथ अघतन वार्षिक रिपोर्ट
- 6. पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त वितीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण यदि आवेदक को इस योजना के अंतर्गत पहले वितीय सहायता मिल चुकी है तो संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 7. परियोजना का ब्यौरा जिसके लिए सहायता अपेक्षित है : तथा विशेषज्ञों का विवरण ब्यौरा यदि कोई नियुक्त करना हो तो
- 8. परियोजना का अनुमानित खर्च, वित्तीय सहायता के लिए मदवार ब्योरे सहित
- 9. वह स्त्रोत जहां से परियोजना के 25 प्रतिशत खर्च को प्राप्त किया जायेगा ।
- 10. परियोजना के लिए यदि किसी अन्य स्त्रोत से वितीय सहायता अपेक्षित है ।
- राज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति आवेदन के साथ संलग्न की जाये ।

स्थानः हस्ताक्षर दिनांकः नामः पदनाम कार्यालय मुहर

गैर सरकारी संगठन स्वयं को https://ngodarpan.gov.in/ पर पंजीकृत करें और दर्पण आई डी प्राप्त करें । टिप्पणी: अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ईमेल:

#### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL ARCHIVES OF INDIA JANPATH, NEW DELHI-110001

# SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF MANUSCRIPTS RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY 2018-2019

Applications are invited for financial assistance from registered voluntary organisations, educational institutions including private colleges, private libraries and museums, universities including deemed universities and individuals for the following purposes:

- a. Scientific preservation / conservation / repair / restoration, microfilming, listing, cataloguing, evaluation, translation, publication / reprint of historical documents, record of history, charts, maps etc. in their custody as also for purchase of manuscripts / rare books.
- b. Preservation and Conservation of archival photographs and prints (including cleographs & lithographs).
- c. Purchase of items required for preservation and conservation of manuscripts / rare books i.e. air-conditioners, vacuum deaners, fumigation chambers and chemicals for treatment.
- d. Digitization of manuscripts, rare books, old and rare documents, record of history, archival photographs & prints (including support for digitization job work as well as purchase of equipment viz. camera, scanner, computer, printer, copier).

The maximum limit of financial assistance under the Scheme is up to Rs. 10 lakh in the ratio of 75:25 of the total cost of the project per year (i.e. Central Government's Share 75% and Grantee's matching share 25%).

Application(s) duly recommended by the State Level Screening Committee (SLSC) / State Archives (for this please contact Director, concerned State Archives) / State Government in the prescribed proforma may be forwarded to Chairman, Grants Committee & Director General, National Archives of India. Janpath. New Delhi-110001 within 60 days of the publication of this advertisement.

Complete details of the financial assistance of the scheme, along with the prescribed proforma of the application can be downloaded from National Archives of India website: www.nationalarchives.nic.in Sub-Head Grants-in-aid on home page or could also be obtained from the address given above, either by writing or in person.

# SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF

# MANUSCRIPTS, RARE BOOKS, OLD AND RARE DOCUMENTS, RECORD OF HISTORY APPLICATION FORM

- Name and complete postal address of the Institution / Organisation / Individual etc. Tel No., Fax No., E-mail ID and Unique ID No.
- Date of Establishment / Registration as a Society or Trust under Indian Societies Registration Act. 1860. Details of Board of Management along with a copy of the Registration Certificate.
- Darpan ID No.\* (for Non-Governmental Organisation).
- 4. Nature and number of manuscripts / rare books, old and rare documents, record of history, holdings and their titles, authors, inclusive years / period, subject, languages to which they belong in the custody of the voluntary organisation / individual.
- Audit accounts for the last three years along with copies of balance sheet (last year) and latest copy of Annual Report.
- A statement giving details of financial assistance received during the last five years from the Central / State Government of any other source. In case the applicant has previously received financial assistance under this scheme, copies of relevant utilization certificates may be enclosed.
- Details of the Project for which assistance is sought along with details of experts to be engaged.
- Estimated Cost of the Project with item-wise details of financial assistance sought.
- Source from where 25% cost of the Project would be met.
- Financial assistance expected from any other source for the Project.
- Concerned State Level Screening Committee Recommendation to be attached with the application.

Place: Date:

> Signature: Name: Designation: Office Stamp:

\* NGOs should register themselves on https://ngodarpan.gov.in and get the Darpan Id No. N.B.: Incomplete application or application received after the prescribed date will not be considered.

davp 09108/11/0001/1819



#### भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय

# राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार

#### जनपथ, नई दिल्ली-110001 www.nationalarchives.nic.in Email- archives@nic.in

पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना

#### 2018-2019

पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें निजी महाविद्यालय, निजी पुस्तकालय और संग्रहालय, विश्वविद्यालय और व्यक्तियों से निजीलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

- क. उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजी, ऐतिहासिक अभिलेख चार्टी व मानचित्रों के वैज्ञानिक परिरक्षण/संरक्षण/ मरम्मत/रेस्टोरेशन, माइक्रोफिल्मिंग, सूचीकरण, कैटेलॉगिंग, मूल्यांकन, अनुवाद, प्रकाशन/पुनर्मुद्रण तथा दुलेण पुस्तके खरीदने के लिए।
- ख. अभिलेखं छायाचित्रों तथा मुंत्रणों (ओलियोग्राफ तथा लिथोग्राफ सहित) के परिरक्षण एवं सरक्षण के लिए।
- ग. पांडुलिपियी/दुर्लिप पुस्तकों के परिरक्षण एवं सरमाण के लिए अपिक्षित महीं जैसे बातानुकूरान, बैक्यूम बलीनसे, प्रमुमीगेशन के बस एवं उपचार केतुं रसायन खरीद के लिए।
- घ. पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लभ दस्तीवेज, ऐतिहासिक अभिलेख व डिजीटाइजेशन, अभिलेखीय छायाचित्रों तथा मुत्रण (डिजीडाइजेशन जॉल दुर्क के साथ-साथ उपकरणों अर्थात कैमरा, स्केनर, कंप्यूटर, प्रिंटर कॉपियर की खरीद हेतु समर्थन सहित) इत्सादि।

योजना के अंतर्गत विकीय सहीयुंता की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है जो प्रति वर्ष परियोजना की कुल लागत के 75:25 के अनुपात में होगी (अर्थात के त्रीय सरकार का 75 प्रतिशत शिवर और अनुदानग्राही की 25 प्रतिशत मैचिंग शेवर) निधारित प्रपन में एज्य सरीय संवीधा स्क्रीनिंग सीमित (सम्बंधित राज्य अभिलेखागार के निदेशक के इस विषय हेतु सम्पर्क करें)/रोज्य सरकार होगा विधिवत सिफारिश किए गए आवेदन को अध्यक्ष, अनुदान सिमित एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विवापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर अवश्य भेज-दिये जाए।

योजना की वित्तीय संहोगता का पूरा विवरण और आवेदन का निर्धारित प्रपत्न राष्ट्रीय अभिलेखागार की विवसाइट www.nationalaichives.nic.in सर्व हैड Grants-in-aid on home page पर से डाऊनलोड किया जा संकेता है या उपर्युक्त पते पर क्लिखकर या स्वयं प्राप्त,कर संकते हैं।

पांडुलिपियों, दुर्लिभ पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लिभ वस्तावेज: ऐतिहासिक अभिलेख के परिरक्षण एवं सरक्षण के लिए वित्तीवः सहायता हेत

#### आवेदन पः

- संस्थान/संगठन/व्यवित इत्यादि का नाम तथा पूरा पता दूरभाष/फैक्स सं., ई-मेल आई.डी. तथा विशिष्ट आई.डी. सं.
- इंडियन सोसाइटी पंजीकरण एकट 1860 के तहत सोसायटी अथवा ट्रस्ट की स्थापना/पंजीकरण की तिथि पंजीकरण प्रमाण-पंत्र सहित प्रवंधन बोर्ड का विवरण
- 3. दर्पण आई.डी. संख्या (गैर सरकारी संगठनों के लिए)
- 4. स्वैच्छिक संगठनीं, व्यक्तियों के पास उनकी अभिरक्षा में रखी पाडुलिक्षियों, दुर्लम पुस्तकों, पुराने एवं दुर्लम दस्तावेज, ऐतिहासिक अभिलेख संपत्तियों की एवं प्रकृति संख्या, जिस पर विशेष रूप से वर्ष/अविध, विषय, भाषा संहित शीर्षक और लेखक को नाम
- पिछले तीन वर्षों का प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण एवं पिछले साल की बैलेंस शीट तथा अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट
- 6. पिछले तीन वर्षों के के के की प्राप्त सरकार या किसी अन्य स्त्रीत से प्राप्त वित्तीय संहायता के ब्वीरे की दशनि वाला विवरण यदि आवेंदक की इस योजना के अंतर्गत पहले वित्तीय सहायता मिल चुकी है तो संबंधित उपयोगिता प्रमण-पत्र संलग्न करें।
- परियोजना का ब्बौरा जिसके लिए सहायता अपेक्षितं है तथा विशेषज्ञों का विवरण ब्बौरा यदि कोई नियुक्त करना हो तो
- परियोजना का अनुमानित खर्च, वित्तीय सहायता के लिए मदवार ब्योरे सहित
- वह स्त्रीत जहां से परियोजना के 25 प्रतिशत खर्च को प्राप्त किया जायेगा।
- परियोजना के लिए वृद्धि किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता अपेक्षित है।
- रांज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी संस्तुति आवेदन के साथ संलान की जाये।

े. स्थानः

. दिनांकः : हस्ताक्षर

. 네+;

पंदनाम:

ं. कार्यालय ग्रंड

ई-मेलः

गैर सरकारी संगठन स्वयं की https://ngodarpan.gov.in/ पर पंजीकृत करें और दर्पण आईडी प्राप्त करें। टिप्पणी: अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पंत्री पर विचार नहीं किया जाएगा।

डी.ए.वी.पी. 09108/11/0001/1819



नई दिल

उपराज्य दिल्ली । खिलाफ़ ने केंद्र व

है। हाई याचिक दियाँ।इ को रहर

> हाई भी अप भाजपा

कहा है कार्यवा सर

एलंजी

5

नई दि

प्रदूषण ने भी दिल्ली को डी चलाने

> अन्य डीजर स् जीद पुरानी में तर

लंगाने से जा ट्रेन मे से औ इलेंबि

1612

कि के घर रह

क किन्त्र किन्।

7.